मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् १९६७

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७

दिनांक १४ जुलाई १९६७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" असाधारण में दिनांक १७ जुलाई १९६७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई]

कतिपय लाभ के पदों को, उनके धारकों को राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या होने के लिये निरर्हित न बनाने वाले घोषित करने के हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय.

…नाम. १. यह अधिनियम मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ कहा जा सकेगा.

…भाषाएं. २. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "समिति" से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी समिति, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय चाहे वह कानूनी निकाय हो या न हो;

(ख) "कानूनी निकाय" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया, रजिस्ट्रीकृत किया गया या बनाया गया या किसी भी ऐसी विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला तथा कृत्य करने वाला कोई भी निगम, बोर्ड, कम्पनी, सोसायटी या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो.

…निवारण. ३. (१) कोई भी व्यक्ति मध्यप्रदेश विधान सभा या मध्यप्रदेश विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या उसका सदस्य होने के लिये केवल इस तथ्य के कारण ही निरर्हित नहीं होगा कि वह सरकार के अधीन लाभ के पदों में से, जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, कोई भी पद धारण करता है.

(२) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो किसी समिति के सभापति या सदस्य का पद धारण करता हो, किसी भी समय मध्यप्रदेश विधान सभा या मध्यप्रदेश विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या होने के लिये केवल इस तथ्य के कारण निरर्हित नहीं होगा कि वह ऐसे पद को धारण करता है:

परन्तु किसी ऐसे पद के धारक को निम्नलिखित से अनधिक यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते से भिन्न कोई फीस, भत्ता या पारिश्रमिक नहीं मिलता हो—

(एक) यदि ऐसा धारक उक्त विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य न हो, तो राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के आफिसर के लिये स्वीकार्य यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता, और

(बी) यदि ऐसा धारक उक्त विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य हो, तो लोक सभा की सदस्य या राज्य विधान सभा या राज्य विधान परिषद् की सदस्य के लिये, धारण किये गये पद के केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन होने की दशा के अनुसार, स्वीकार्य यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता.

४. मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रिवेन्शन ऑफ डिसक्वालीफिकेशन एक्ट, १९५६ (क्रमांक १ सन् १९५७) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. निरसन.

अनुसूची

सरकार के अधीन लाभ के पदों की सूची

[धारा ३ (१) देखिये]

१. राज्य विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.

२. राज्य विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति.

३. राज्य मंत्री.

४. उप-मंत्री.

५. संसदीय सचिव.

६. महाधिवक्ता.

७. सरकारी प्लीडर.

८. दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ (क्रमांक ५ सन् १८९८) में यथापरिभाषित लोक अभियोजक.

९. मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) के अधीन पटेल के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, या बस्तर जिले में मांझी या चाकी के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, कोई भी व्यक्ति

१०. प्रॉविन्शियल इन्साल्वेंसी एक्ट, १९२० (क्रमांक ५ सन् १९२०) के अधीन नियुक्त किया गया राजकीय रिसीवर.

११. मध्यप्रदेश इर्रीगेशन एक्ट, १९३१ (क्रमांक ३ सन् १९३१) की धारा ९२ के अधीन बनाये गये नियमों में यथापरिभाषित सिंचाई पंचायत का सरपंच.

१२. नेशनल केडिट कोर या प्रादेशिक सेना में का कोई भी पद.

१३. रिजर्व्ड एंड ऑक्जीलरी एयर फोर्सेस एक्ट, १९५२ (क्रमांक ६२ सन् १९५२) के अधीन स्थापित की गई ऑक्जीलरी एयर फोर्स या एयर डिफेंस रिजर्व का कोई भी पद.

१४. भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा दिनांक २६ अक्टूबर, सन् १९६२ के प्रवृत्त रहने की कालावधि के दौरान और उसके पश्चात कालावधि के दौरान संघ की नौ-सेना, स्थल सेना, वायु सेना या किन्हीं अन्य सशस्त्र दलों सदस्य.

१५. ऐसे बीमाकर्ता के अधीन जिसके कि नियंत्रित कारबार का प्रबंध लाइफ इन्श्योरेंस (इमर्जेन्सी प्राविजन्स) एक्ट, १९५६ (क्रमांक ९ सन् १९५६) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो, कोई भी पद.

व्याख्या :—पद १५ के प्रयोजन के लिए "बीमाकर्ता" तथा "नियंत्रित कारबार" के वही अर्थ होंगे जो कि लाइफ इन्श्योरेंस (इमर्जेन्सी प्राविजन्स) एक्ट, १९५६ (क्रमांक ९ सन् १९५६) में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किये गये है.

भोपाल, दिनांक १७ जुलाई १९६७.

क्र. २२४२३-इक्कीस-अ (प्रा.).–भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अनुसार मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ (क्रमांक १६ सन् १९६७) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रे. शं. त्रिवेदी, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 16 of 1967

THE MADHYA PRADESH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRHATA NIVARAN ADHHINIAM 1967.

[Received the assent of the Governor on the 14th July 1967, assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" Extraordinary on the 17th July, 1967.]

An Act to declare certain offices of the profit not to disqualify their holders for being chosen as or for being members of the State Legislature.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Eighteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirhata Nivaran Adhiniyam, 1967. **Short title.**

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— **Definitions.**

(a) "Committee" means any committee, council, board or any other body of persons whether a statutory body or not set up by the Central Government or any State Government;

(b) "Statutory body" means any corporation, board, company, society or any other body of persons, whether incorporated or not, established, registered or formed by or under any law for the time being in force or exercising powers and functions under any such law.

3. (1) A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly or the Madhya Pradesh Legislative Council by reason only of the fact that he holds any of the offices of profit under Government specified in the Schedule. **Prevention of disqualification.**

② — Explanation Inst

(2) No[1] person, holding the office of the Chairman or member of any committee, shall be disqualified at any time for being chosen as, or for being, a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly or the Madhya Pradesh Legislative Council by reason only of the fact that he holds such office :

Provided that the holder of any such office is not in receipt of any fee, allowances or remuneration other than travelling or daily allowances not exceeding—

(i) the travelling allowance and daily allowance admissible to a first-grade officer, serving

1. Subst. by M.P. Act No 3 of 1972
② Inst. by M.P. Act No 9 of 1971

under the State Government, if such holder is not a member of the said Legislative Assembly or the Legislative Council, and

(ii) the travelling allowance and daily allowance admissible to a member of the House of People or a member of the State Legislative Assembly the State Legislative Council according as the office held is under the control of the Central Government or the State Government, if such holder is a member of the said Legislative Assembly or Legislative Council.

Repeal.

4. The Madhya Pradesh Legislative Assembly Prevention of Disqualification Act, 1956 (1 of 1957) is hereby repealed.

THE SCHEDULE

List of Offices of profit under Government.

[*Vide* section 3(1)]

1. Speaker and Deputy Speaker of the State Legislative Assembly.
2. Chairman and Deputy Chairman of the State Legislative Council.
3. Minister of State.
4. Deputy Minister.
5. Parliamentary Secretary.
6. Advocate General.
7. Government Pleader.
8. Public Prosecutor as defined in the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898).
9. Any person appointed as, or performing the functions of, a Patel under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959) or a Manjhi or a Chalki in Bastar District.
10. Official Receiver appointed under the Provincial Insolvency Act, 1920 (V of 1920).
11. Sarpanch of an irrigation panchayat as defined in the rules made under section 62 of the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (III of 1931).
12. Any office in the National Cadet Corps or the Territorial Army.

6

(२१३२)

13. Any office in the Auxilliary Air Force or the Air Defence Reserve raised under the Reserved and Auxilliary Air Forces Act, 1952 (LXII of 1952).

14. Member of the naval, military, air forces or any other armed forces of the Union during the period, the proclamation of Emergency by the President of India, dated the 26th October, 1962, remains in force and six months thereafter.

15. Any office under an insurer the management of whose controlled business is vested in the Central Government under the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (IX of 1956).

Explanation.—For the purpose of item 15 "insurer" and "controlled business" shall have the meanings respectively assigned to them in the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (IX of 1956).

1- 16 Added —
17-
2- 18- Added

1- Added by M.P. Act No 8 of 1973
2. Added by M.P. Act No 1 of 1974

अधीक्षक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल, द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित—१९६७.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

जावक क्रमांक 922/48/सं.का./2006
दिनांक- 12/12/06

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 503] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2006 — अग्रहायण 14, शक 1928

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

क्रमांक 13877/21-अ/प्रारूपण/06.-- छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 04-12-06 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 30 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2006.

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्रमांक 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2006 है.

(2) यह 1 नवम्बर, 2000 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा.

परिभाषा

2. इस अधिनियम में, "मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्रमांक 16 सन् 1967).

धारा 2 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(ग)"प्रतिकर भत्ता" से अभिप्रेत है, किसी पदधारी को पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किए गए किसी व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, बैठक शुल्क, वाहन भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, संचार भत्ता या अन्य कोई भत्ते के रुप में देय कोई धन राशि."

धारा 3 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

"3. कतिपय लाभ के पद निरर्हकारी नहीं — एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी पद, जहॉं तक वह शासन के अंतर्गत लाभ का पद है, उसके धारक को छत्तीसगढ़ विधानसभा का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं करेगा या कभी भी निरर्हित नहीं किया गया है, माना जाएगा.

139

3--क. कतिपय पदों की निरर्हता का प्रतिषेध — धारा 3 के उपबंधों के अध्यधीन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी समिति के सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या निदेशक या सदस्य का पद धारण करता हो, किसी भी समय छत्तीसगढ़ विधानसभा का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए मात्र इस तथ्य के कारण निरर्हित नहीं होगा कि वह ऐसे पद को धारण करता है:

परन्तु किसी ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता हो."

अनुसूची का संशोधन

5. मूल अधिनियम की अनुसूची में,--

(एक) मद 8 में शब्द, अंक तथा कोष्ठक " दण्ड प्रकिया संहिता, 1898 (1898 का सं0 पांच)" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक " दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का सं0 दो) " स्थापित किए जाएं,

(दो) मद 18 से 22 के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित किए जाएं, अर्थात्:--

"18. मुख्यमंत्री या मंत्री या राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा पदेन हैसियत से धारित पद.

19. निम्नलिखित कानूनी निकाय या समिति के सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या निदेशक और प्रबंध निदेशक या सदस्य सचिव या सचिव या सदस्य का पद:--

(1)	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन गठित राज्य समन्वय समिति .
(2)	राज्य श्रोत (निःशक्तजन) संस्थान.
(3)	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड.
(4)	ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति.

(5)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्.
(6)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण.
(7)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी.
(8)	छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी.
(9)	शासकीय किरोड़ीमल पॉलीटेक्निक सोसायटी, रायगढ़.
(10)	कार्यकारी समिति, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्.
(11)	राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्,छत्तीसगढ़.
(12)	राज्य शिक्षुता परिषद्, छत्तीसगढ़.
(13)	छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क0 21 सन् 1994) के अधीन गठित स्थायी समिति.
(14)	छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय सर्तकता तथा मॉनिटरिंग कमेटी.
(15)	छत्तीसगढ़ आदिम जाति मंत्रणा परिषद् (जनजाति सलाहकार परिषद्).
(16)	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल.
(17)	छत्तीसगढ़ राज्य वन औषधि बोर्ड.
(18)	छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी.(क्रेडा)
(19)	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड.
(20)	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड.
(21)	राज्य उद्योग सलाहकार मण्डल.
(22)	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.
(23)	सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.
(24)	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण.
(25)	राज्य योजना मंडल.
(26)	छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एण्ड बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स).
(27)	छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन.
(28)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड.
(29)	छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड.
(30)	छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड.
(31)	छत्तीसगढ़ स्टेट कौंसिल भारत स्काउट एण्ड गाइड.
(32)	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का परियोजना सलाहकार मण्डल.
(33)	छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड.
(34)	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल.
(35)	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड.

(36)	छत्तीसगढ़ निशक्तजन वित्त एवं विकास निगम.
(37)	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण.
(38)	छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड.
(39)	छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित.
(40)	छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड.
(41)	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल.
(42)	छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार परिषद्.
(43)	विद्युत अधिनियम, 2003 धारा 166(4) के अधीन गठित राज्य स्तरीय समन्वय फोरम.
(44)	छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सी0बी0डी0ए0).
(45)	राज्य जल स्थायी समिति.
(46)	राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड.
(47)	स्वशासी समिति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर.
(48)	स्वशासी समिति, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर.
(49)	स्वशासी समिति, पं0 जवाहर लाल नेहरु स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर.
(50)	स्वशासी समिति आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर.
(51)	छत्तीसगढ़ पैरा–मेडिकल कौंसिल,रायपुर.
(52)	राज्य स्वास्थ्य मिशन.
(53)	छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी.
(54)	कुष्ठ रोग नियंत्रण समिति.
(55)	मलेरिया एवं फाइलेरिया नियंत्रण समिति.
(56)	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण समिति.
(57)	क्षय रोग नियंत्रण समिति.
(58)	प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति.
(59)	बहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान रायपुर.
(60)	छत्तीसगढ़ पर्यटन सलाहकार बोर्ड.
(61)	होटल प्रबंधन संस्थान रायपुर.
(62)	छत्तीसगढ़ महिला कोष.
(63)	राज्य समाज कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़.
(64)	छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग.
(65)	छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम.
(66)	छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड.
(67)	छत्तीसगढ़ राज्य संस्कृत बोर्ड.
(68)	छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण.
(69)	छत्तीसगढ़ राजीव गांधी शिक्षा मिशन.
(70)	राज्य शहरी विकास अभिकरण.

142

(71)	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड.
(72)	छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था.
(73)	छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड.
(74)	छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम.
(75)	छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड.
(76)	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग.
(77)	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग.
(78)	छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग.
(79)	छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग.
(80)	छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग.
(81)	छत्तीसगढ़ राज्य गौ--सेवा आयोग.
(82)	छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति, रायपुर.
(83)	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित.
(84)	श्रीमती सूर्यमुखी देवी राजगामी सम्पदा समिति (न्यास), राजनांदगांव.
(85)	छत्तीसगढ़ संवाद.
(86)	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम.
(87)	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित
(88)	छत्तीसगढ़ राज्य वन्य प्राणी बोर्ड.
(89)	छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड.
(90)	शासकीय चिकित्सालय की जीवन दीप समिति."

विधि मान्यकरण के संबंध में विशेष प्रावधान.

6. (1) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश या मत के होते हुए भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद उनके धारकों को छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए उसी तरह निरर्हित नहीं करेगें या ऐसे पदों द्वारा उनके धारकों को कभी भी निरर्हित नहीं किया गया है, यह उसी तरह माना जाएगा जैसे कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित रुप में मूल अधिनियम सभी सारतान समय में प्रवृत्त रहा था.

(2) शंकाओं के निराकरण हेतु एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि पर किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी याचिका या संदर्भ का निराकरण, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा.

143

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

क्रमांक 13877/21-अ/प्रारूपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 30 of 2006)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2006.

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force retrospectively with effect from 1st November, 2000.

Definition

2. In this Act, "Principal Act" means the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No.16 of 1967).

Amendment of Section 2

3. After clause (b) of Section 2 of the Principal Act, the following clause shall be added, namely:-

"(c) "Compensatory Allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of travelling allowance, daily allowance, sitting fee, conveyance allowance, house rent allowance, communication allowance or any other allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office."

Amendment of Section 3

4. For Section 3 of the Principal Act, the following Sections shall be substituted, namely,

"3. **Certain offices of profit not to disqualify** It is hereby declared that none of the offices specified in the Schedule, in so far as it is an office of profit under the Government, shall disqualify or shall be deemed ever to have disqualified the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the Chhattisgarh Legislative Assembly.

3-A. Prevention of disqualification of certain offices Subject to the provisions of Section 3 no person holding the office of Chairman and Vice Chairman or President and Vice President or Director or Member of any committee shall be disqualified at any time for being chosen as, or for being, a Member of the Chhattisgarh Legislative Assembly by reason only of the fact that he holds such office:

Provided that the holder of any such office is not in receipt of any remuneration other than compensatory allowance."

Amendment of Schedule.

5. In the Schedule to the Principal Act:-

(i) in item 8, for the words, figures, and bracket "Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898)" the words, figures and bracket "Code of Criminal Procedure 1973 (No. 2 of 1974)" shall be substituted.

(ii) For items 18 to 22, the following items shall be substituted, namely:-

"18. the office held by Chief Minister or Minister or Minister of State or Deputy Minister in ex-officio capacity.

19. the office of Chairman and Vice Chairman or President and Vice President or Director and Managing Director or Member Secretary or Secretary or Member of the following statutory body or committee: -

(1)	State Coordination Committee constituted under the Persons with Disabilities (Equal opportunities, protection of rights and full participation) Act, 1995.
(2)	Rajya Shrot (Nishaktjan) Sansthan.
(3)	State Advisory Board constituted under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.
(4)	State Level Vigilance and Monitoring Committee constituted for Rural Development Programme.
(5)	Chhattisgarh State Rural Employment Guarantee Council.
(6)	Chhattisgarh Gramin Sadak Vikas Abhikaran.
(7)	Chhattisgarh Gramin Garibi Unmulan Society.
(8)	Chhattisgarh Rajya Hindi Granth Academy.
(9)	Shaskiya Kirodimal Polyteenic Society, Raigarh.
(10)	Karykari Samiti Chhattisgarh Vigyan Evam Praudhogiki Parishad.
(11)	Rajya Vyavasayik Prashikshan Parishad, Chhattisgarh.
(12)	Rajya Shikshukta Parishad, Chhattisgarh.
(13)	Standing Committee constituted under the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994(No.21 of1994).

(14)	State level Vigilence and Monitoring Committee constituted under the Chhattisgarh Anusuchit Jati Avam Janjati (Atyachar Nivaran) Niyam, 1995.
(15)	Chhattisgarh Adim Jati Mantrana Parishad (Tribal Advisory Council).
(16)	Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Mandal.
(17)	Chhattisgarh Rajya Van Aushidhi Board.
(18)	Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA).
(19)	Chhattisgarh Mineral Development Corporation Ltd.
(20)	State Investment Promotion Board.
(21)	State Industry Advisory Board.
(22)	Bastar Evam Dakshin Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran.
(23)	Sarguja Evam Uttar Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran.
(24)	Anusuchit Jati Vikas Pradhikaran.
(25)	State Planning Board.
(26)	Chhattisgarh Infotech and Biotech Promotion Society(CHIPS).
(27)	Chhattisgarh State Warehousing Corporation.
(28)	Chhattisgarh Tourism Board.
(29)	Chhattisgarh Infrastructure Development Corporation Limited .
(30)	Chhattisgarh State Agriculture Marketing Board.
(31)	Chhattisgarh State Council of Bhartat Scout and Guide.
(32)	Project Advisory Board of Integrated Tribal Development Project.
(33)	Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited.
(34)	Chhattisgarh Housing Board.
(35)	Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited.
(36)	Chhattisgarh Nishakt Jan Vitta Avam Vikas Nigam.
(37)	Chhattisgarh State Legal Service Authority.
(38)	Chhattisgarh Khadi Tatha Gramodyog Board.
(39)	Chhattisgarh Rajya Hathkargha Vikas Evam Vipnan Sahkari Sangh Maryadit.
(40)	Chhattisgarh Hastshilp Vikas Board.
(41)	Chhattisgarh Labour Welfare Board.
(42)	Chhattisgarh Shram Salahkar Parishad.
(43)	State Level Coordination Forum constituted under sub-section (4) of Section 166 of the Electricity Act, 2003.
(44)	Chhattisgarh Bio-Fuel Development Authority (CBDA).
(45)	Chhattisgarh Water Standing Committee.
(46)	State Flood Control Board.
(47)	Swashasi Samiti, Shaskiya Chikitsa Mahavidyalaya Jagdalpur.
(48)	Swashasi Samiti, Shaskiya Dant Chikitsa Mahavidyalaya, Raipur.

(49)	Swashasi Samiti, Pandit Jawahar Lal Nehru Smriti Chikitsa Mahavidyalaya, Raipur.
(50)	Swashasi Samiti Ayurved Mahavidyalaya, Raipur.
(51)	Chhattisgarh Para-medical Council, Raipur.
(52)	Rajya Swasthya Mission.
(53)	Chhattisgarh Rajya AIDS Niyantran Society.
(54)	Kushtha Rog Niyantran Samiti.
(55)	Malaria Evam Filaria Niyantran Samiti.
(56)	Rashtriya Drishtiheenta Nivaran Samiti.
(57)	Kshaya Rog Niyantran Samiti.
(58)	Prajnan Shishu Swasthya Samiti.
(59)	Bahu Ayami Sanskritika Sansthan, Raipur.
(60)	Chhattisgarh Paryatan Salahkar Board.
(61)	Hotel Prabandhan Sansthan, Raipur.
(62)	Chhattisgarh Mahila Kosh.
(63)	State Social Welfare Board Chhattisgarh.
(64)	Chhattisgarh State Commission for Women.
(65)	Chhattisgarh Pathaya Pustak Nigam.
(66)	Chhattisgarh Madersa Board.
(67)	Chhattisgarh Rajya Sanskrit Board.
(68)	Chhattisgarh Rajya Saksharta Mission Pradhikaran.
(69)	Chhattisgarh Rajeev Gandhi Shiksha Mission.
(70)	Rajya Shahri Vikas Abhikaran.
(71)	Chhattisgarh Rajya Beej Evam Krishi Vikas Nigam Limited.
(72)	Chhattisgarh Rajya Beej Pramanikaran Sanstha.
(73)	Chhattisgarh State Beverages Corporation Limited.
(74)	Chhattisgarh Rajya Antyavasayi Sahakari Vitta Evam Vikas Nigam.
(75)	Chhattisgarh Rajya Wakfa Board.
(76)	Chhattisgarh Rajya Anusuchit Jan Jati Ayog.
(77)	Chhattisgarh Rajya Anusuchit Jati Ayog.
(78)	Chhattisgarh Rajya Pichhada Varga Ayog.
(79)	Chhattisgarh Rajya Alp-Sakhayak Ayog.
(80)	Chhattisgarh Rajya Yuva Ayog.
(81)	Chhattisgarh Rajya Gau-Seva Ayog.
(82)	Chhattisgarh Arogya Chikitsa Shikshan Evam Anusandhan Samiti, Raipur
(83)	Chhattisgarh Rajya Sahkari Matsya Mahasangh Maryadit.
(84)	Smt. Suryamukhi Devi Rajgamni Sampada Samiti (Nayas), Rajnandgaon.
(85)	Chhattisgarh Samvad.
(86)	Chhattisgarh Rajya Van Vikash Nigam.
(87)	Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trade and Development) Co-operative Federation Limited.
(88)	Chhattisgarh State Wild Life Board.
(89)	Chhattisgarh Jaiv Vividhta Board.
(90)	Jeevan Deep Samiti of Government Hospital."

147

Special provision as to validation.

6. (1) Notwithstanding any judgment or order of any court or tribunal or any order or opinion of any other authority, the offices mentioned in the Schedule as amended by this Act, shall not disqualify or shall be deemed never to have disqualified the holders thereof for being chosen as, or for being a member of the Chhattisgarh Legislative Assembly as if the Principal Act, as amended by this Act, had been in force at all material times.

(2) For the removal of doubts, it is hereby clarified that any petition or reference pending before any court or other authority on the date of commencement of this Act, shall be disposed of in accordance with the provisions of the Principal Act, as amended by this Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2019 — ज्येष्ठ 17, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 7 जून 2019

क्रमांक 5746/डी. 111/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-03-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 8 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाएगा.

(2) यह 1 जनवरी, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी में, सरल क्रमांक 90 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"91	छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, रायपुर
92	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
93	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम मर्यादित, रायपुर
94	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर
95	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
96	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर
97	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग
98	छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
99	रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर
100	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
101	अटल नगर विकास प्राधिकरण
102	छत्तीसगढ़ योग आयोग
103	छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड
104	छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर
105	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
106	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

107 छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद, रायपुर

108 छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड

109 छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

110 छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड

111 छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम मर्यादित

112 छत्तीसगढ़ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल

113 छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड

114 छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग

115 छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल

116 राज्य वित्त आयोग

117 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

118 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण

119 राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समीक्षा समिति

120 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण

121 छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी

122 छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी

123 छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, रायपुर

124 छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी, रायपुर

125 पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी सृजन पीठ, भिलाई

126 दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र नागपुर

127 छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी

128 तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड"

अटल नगर, दिनांक 7 जून 2019

क्रमांक 5746/डी. 111/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7-6-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 8 of 2019)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall be deemed to have come in to force retrospectively with effect from 1st January, 2019.

Amendment of Schedule.

2. In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967), in the table of item 19 of the Schedule, after serial number 90, the following shall be added, namely :-

"91	Chhattisgarh Film Development Corporation, Raipur
92	State disaster Management Authority
93	Chhattisgarh Road Development Corporation Limited, Raipur
94	Chhattisgarh State Co-operative Bank Limited, Raipur
95	Chhattisgarh State Co-operative Association Limited, Raipur
96	District Cooperative Central Bank Limited, Raipur, Durg, Rajnandgaon, Jagdalpur, Bilaspur, Ambikapur
97	Chhattisgarh State Food Commission
98	Chhattisgarh Rajya Bal Adhikar Sanrakshan Ayog
99	Raipur Development Authority, Raipur
100	Chhattisgarh Environment Conservation Board
101	Atal Nagar Vikash Pradhikaran
102	Chhattisgarh Yoga Aayog
103	Chhattisgarh State Kesh Shilpi Welfare Board
104	Chhattisgarh State Medicinal Plants Board, Raipur
105	Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board
106	Chhattisgarh Unorgnized Workers State Social Security Board
107	Chhattisgarh Rajya krishak Kalyan Parishad, Raipur

108	Chhattisgarh Machua Kalyan Board
109	Chhattisgarh State Animal Welfare Board
110	Chhattisgarh Matikala Board
111	Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited
112	Chhattisgarh Micro and Small Enterprise Facilitation Council
113	Chhattisgarh Railway Corporation Ltd.
114	Chhattisgarh Rajya Shiksha Aayog
115	Chhattisgarh Professional Examination Board
116	State Finance Commission
117	Chhattisgarh State Cooperative Dairy Federation Limited
118	Chhattisgarh State Livestock Development Agency
119	State Level Twenty Point Implementation Review Committee
120	Chhattisgarh Rajya Gramin Avam Anya Pichhda Varg Kshetra Vikash Pradhikaran
121	Chhattisgarh State Haj Committee
122	Chhattisgarh Urdu Academy
123	Chhattisgarh Official Language Commission, Raipur
124	Chhattisgarh Sindhi Academy, Raipur
125	Padumlal-Punnalal Bakshi Shrijan Peeth, Bhilai
126	South Central Region Cultural Centre Nagpur
127	Chhattisgarh Sahitya Academy
128	Third Gender Welfare Board"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 902] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2019 — पौष 7, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13360/डी. 235/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-12-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 22 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 कहलाएगा.

(2) यह 1 अगस्त, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी में, -

(एक) सरल क्रमांक 22 में, शब्द "बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण" के स्थान पर, शब्द "बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) सरल क्रमांक 23 में, शब्द "सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण" के स्थान पर, शब्द "सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(तीन) सरल क्रमांक 128 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"129 छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण.
130. मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण."

अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13360/डी. 235/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-12-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 22 of 2019)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the SeventiethYear of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall be deemed to have come in to force retrospectively with effect from 1st August, 2019.

Amendment of Schedule.

2. In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967), in the table of item 19 of the Schedule,-

(i) in serial number 22, for the words "Bastar Evam Dakshin Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran", the words "Bastar Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran" shall be substituted;

(ii) in serial number 23, for the words "Surguja Evam Uttar Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran", the words "Surguja Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran" shall be substituted; and

(iii) after serial number 128, the following shall be added, namely :-

"129. Chhattisgarh Sports Development Authority.

130. Madhya Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 510] रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 सितम्बर 2021 — आश्विन 5, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 सितम्बर 2021

क्रमांक 10088/डी. 100/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-09-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 16 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2021

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी में, सरल क्रमांक 130 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"131. छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड."

अटल नगर, दिनांक 27 सितम्बर 2021

क्रमांक 10088/डी. 100/21-अ/प्रारू./छ. ग./21.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 27-9-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 16 of 2021)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Second Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021. **Short title and commencement.**

(2) It shall be come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967), in the table of item 19 of the Schedule, after serial number 130, the following shall be added, namely :- **Amendment of Schedule.**

"131. Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 अगस्त 2023 — श्रावण 25, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 अगस्त 2023

क्र. 9978/डी. 79/21—अ/प्रारू./छ.ग./23. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 11—08—2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 16 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2023.

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलाएगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी के सरल क्रमांक 25 में, शब्द ''राज्य योजना मंडल'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य योजना आयोग'' प्रतिस्थापित किया जाये ।

अटल नगर, दिनांक 16 अगस्त 2023

क्र. 9978/डी. 79/21–अ/प्रारू./छ.ग./23. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 16–08–2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2023)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2023.

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023.

(2) It shall be come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule.

2. In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967), in serial number 25 of the table of item 19 of the Schedule, for the words “State Planning Board”, the words “State Planning Commission” shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.